



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

KOLK/EAST/B/062023/764185

मालिक का नाम एवं पता

OWNERS Name & Address

Ambey Realtors LLP

Sri Raj Kumar Agarwal, Partner PS IXL
Building, Unit No. 205, 2nd Floor, Biswa
Bangla Sarani, Chinar Park, Kolkata - 700136, West Bengal

दिनांक/DATE:

27-09-2023

वैधता/ Valid Up to:

26-09-2031

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी)
No Objection Certificate for Height Clearance

- 1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमान मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।
 1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.
- 2). इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।
 2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	KOLK/EAST/B/062023/764185
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Bikas Maity
स्थल का पता / Site Address*	Dag No. 2049 and 2050 at Mouza – Gopalpur J.L No. – 2 L.R Khatian No. – 6453 Touzi No – 2998 Ward No. – 4 at Sourav Ganguly Avenue Niranjan Pally PS – Airport Kolkata – 700136,Gopalpur,Kolkata,West Bengal
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	22 38 35.08N 88 27 13.30E, 22 38 34.51N 88 27 13.41E, 22 38 34.30N 88 27 13.59E, 22 38 35.05N 88 27 13.80E, 22 38 34.04N 88 27 13.98E, 22 38 35.50N 88 27 14.15E, 22 38 33.77N 88 27 14.67E, 22 38 35.34N 88 27 15.61E
स्थल की ऊँचाई एमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	3.84 M
अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	31.84 M



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

KOLK/EAST/B/062023/764185

* जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant*

- 3) यह अनापति प्रमाण पत्र निम्नतिथित नियम व शर्तों के अधीन है:-
 3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एपरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही की जायगी।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

ख) अनापति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एपरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साप पूर्व समन्वय के साप) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायगी। अर्थात्, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।

d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

च) अनापति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एपरक्राफ्ट एक्ट 1934, के सैक्षण 9-A तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा एपरक्राफ्ट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन है।

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

छ) कोई भी रेडियो/टीवी एन्टीना, लाइटनिंग और स्टर, सीढ़िया, मूमटी, पानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्न उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए।

f. No radio/TV Antenna, lightening arresters, staircase, Mumty, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

KOLK/EAST/B/062023/764185

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ दिटु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए खुए का स्रतरा दैदा नहीं करता है, ही मान्य है।

g) Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.

ह) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है। एक बार रिवेलीडेशन की अनुमति दी जा सकती है, दरअर्थे कि इस तरह का अनुरोध एनओसी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाए और प्रारंभिक प्रमाणपत्र 8 साल की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए।

i. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One-time revalidation shall be allowed, provided that such request shall be made within six months from the date of expiry of the NOC and commencement certificate is obtained within initial validity period of 8 years.

क) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटों का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ झगड़ उत्पन्न हो। विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी।

j. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

क) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके असंपाद विमान से उत्पन्न शूर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरुद्ध कोई शिकायत दाता नहीं किया जाएगा।

j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

क) दो मार्किंग तथा सहायक डिट्रूप्ट आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट www.dgeca.nic.in पर उपलब्ध) नागर विमानन आदेशकान्ताए अंकुला 'B' पार्ट 1 सेक्षन-4 के बैटर 6 तथा अनुलम्बक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website www.dgeca.nic.in

ल) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस ऊंचाई हेतु अनापति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्थानिक अटि सहित किसी अन्य उद्देश्य/दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. That NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

म) इस अनापति प्रमाणपत्र आईटी का मूलदाता Behala,Kolkata विमानक्षेत्रों के संबंध में किया गया है। यह अनापति प्रमाणपत्र भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रों और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रों जो जी.एस.आर. 751 (ई) जी.एस.आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (एग-1), अनुसूची - IV (एग-2), केवल RCS हवाई अड्डे और अनुसूची - VII में सूचीबद्ध है, के लिए जारी किया गया है।

m. This NOC ID has been assessed with respect to the Behala,Kolkata Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule - III, Schedule - IV(Part-I), Schedule- IV (Part-2, RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR770(E).



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

KOLK/EAST/B/062023/764185

त) यदि स्थल रक्षा विभाग के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के लिये, जो जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची- IV (भाग -2; आरसीएस हवाई अड्डों के अलावा) के रूप में सूचीबद्ध बिना लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।

n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule – V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E)

- प) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की किसी भी त्रुटि/व्याख्या की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा।
o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.
- द) स्थल की ऊँचाई और/या संरचना की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एमएसएल में ही मान्य होगी।
p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in AMSL shall prevail.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
KOLK/EAST/B/062023/764185

क्षेत्र का नाम / Region Name:

पूर्व/EAST

पदनामित अधिकारी/Designated Officer

नाम/ पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign
with date

S. Malodur 26/09/23
मालोदुर (संस्कृत) पूर्व/General Manager (ATM) ER
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India
नेशनल एयरपोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट/N.S.C.B.I. Airport
कोलकाता/Kolkata 700052

द्वारा तैयार Prepared by

Raju
26.09.23.

द्वारा जांचा गया Verified by

Manjari
26/09/2023.

ईमेल आईडी / EMAIL ID : gmatmer@aai.aero
फोन/ Ph: 033-25111293

ANNEXURE/अनुसंधान

Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर में)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री)
Behala	22275.83	46.93
Kolkata	1402.24	148.72
NOCID	KOLK/EAST/B/062023/764185	



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
KOLK/EAST/B/062023/764185

